आज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

श्रीमती पतारी वगैरह बनाम श्रीमती सुवा देवी वगैरह
किस्म मुकदमा–225 राज0काश्त0अधिनियम
प्रकरण संख्या 364 / 2022 (अजमेर)

आंशिक स्वीकार / रिमाण्ड
29/11/22

	श्री एन.एस.राजावत एड श्रीमती पतारी वगैरह बनाम श्रीमती सुवा देवी वगैरह (364 / 2022)	
15.11.2022	यह अपील श्री एन.एस.राजावत एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी(सहायक कलक्टर(मु.),अजमेर के आदेश दिनांक 14..2.2022 , प्रकरण संख्या 35 / 2015(105 / 2022) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्त0 अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील मियाद बाहर पेश की गई, जिसके समर्थन में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पेश किया गया। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं बहस स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 29.11.2022 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
29.11.2022	पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर अभिभाषक अपीलांट को सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा मूल वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र याचित अनुतोष हेतु सन 2015 में प्रस्तुत कर अभिवचनों, दस्तावेजी साक्ष्यों एवं विधिक प्रावधानो के तहत् विवादित भूमि पर अपने पूर्वाधिकारियों के समय से पैतृक खातेदारी अधिकार, कब्जा काश्त, रहवास इत्यादि विद्यमान चले आ रहे है, जिससे प्रथम प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में विद्यमान चले आ रहे है, जिनके विचाराधीन रहते हुए अप्रार्थीगण द्वारा अविधिक रूप से प्रार्थी को बेदखल किये जाने पर आमादा होने की स्थिति में सन् 2015 से निन्तर दिनांक 14.02.2022 तक धारा 151 जा.दी. के तहत् आवेदन पत्र प्रस्तुत कर याचित अनुतोष हेतु निवेदन किया गया परन्तु किसी प्रकार का विधि सम्मत आदेश पारित नहीं होने से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 14.02.2022 के विरूद्ध मूल अपील प्रस्तुत की गई है, जिसमें प्रस्तुती में हुई देरी का पर्याप्त, उचित एवं सद्भाविक कारण होने से देरी को क्षमा किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुत किये जाने में हुई देरी का उचित, पर्याप्त, सद्भाविक एवं विधिक आधार होने से देरी को क्षमा किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित फरमाये जाने के आदेश प्रदान करावे। अभिभाषक प्रार्थीगण / अपीलांटस के द्वारा प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थीगण / अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कारण संतोषप्रद होने व सद्भाविक होने से एवं प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण करने के कारण मियाद के बिन्दू पर नरम रूख अपनाते हुए, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझते है। **अतः प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।** तत्पश्चात स्थगन प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थीगण / अपीलांट को	

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

श्रीमती पतासी वगैरह बनाम श्रीमती सुवा देवी वगैरह
किस्म मुकदमा–225 राज0काश्त0अधिनियम
प्रकरण संख्या 364/2022 (अजमेर)

सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन पर बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 14.02.2022 के तहत् विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी. को निरसत फरमाया जाकर अपीलांट/प्रार्थीगण के प्रथम दृष्टया प्रकरण में निहित विवादित भूमि में हक–अधिकार व आधिपत्य निहित होना तथा प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय में निहित होना स्वीकार किये जाने के उपरान्त भी स्थगन के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं कर विधिक त्रुटि कारित किये जाने से अपील के माध्यम से हस्तक्षेप कर स्थगन के सम्बन्ध में न्यायोचित एवं विधि सम्मत आदेश पारित किया जाना आवश्यक है, जिस हेतु यह अपील मान्नीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। अपीलांट/प्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर प्रकरण में निहित विवादित भूमि को पैतृक हक–अधिकार व आधिपत्य की होना प्रथम दृष्टया प्रमाणित किया जाकर भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश/डिक्री के विधिवत खातेदारी को परिवर्तित किया जाना सिद्ध किया गया जिससे सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण/अपीलांट के हक में विद्यमान करता है इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन के सम्बन्ध में किसी प्रकार आदेश पारित नहीं कर विधिक त्रुटि कारित की है। प्रार्थीगण प्रकरण में वर्णित कृषि भूमियों के रिकार्डेड खातेदार होकर उसके वास्तविक एवं भौतिक आधिपत्य व कब्जे काश्त में चले आ रहे है प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में विद्यमान करते है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र संख्या 33/2015 (105/2022) में वर्णित खसरा नम्बर 1721, 1722, 1765 स्थित ग्राम चौरसियावास तहसील व जिला अजमेर के मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जाने एवं निर्माण अन्तरण नहीं किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

अभिभाषक अपीलांट के द्वारा की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम दिनांक 07.05.2015 को प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण वर्तमान में शेष अप्रार्थी संख्या 1से 4, 7 से 12, 14 की तलबी हेतु एवं सुनवाई प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 जा.दी. हेतु नियत है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्ष 2015 से विचाराधीन हैं। प्रार्थीगण प्रकरण में वर्णित कृषि भूमियों के रिकार्डेड खातेदार है एवं अपीलांट ने प्रकरण में फोटोग्राम प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रकरण के विचाराधीन रहते हुए भूमि का भूखण्डो के रूप में विक्रय कर निर्माण प्रारम्भ कर दिया गयां। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई। अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है यदि प्रकरण के विचाराधीन रहते हुए विवादित आराजी को सरंक्षित नहीं किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं किन्तु उभय पक्षकारों के मध्य कृषि भूमि के सम्बन्ध में सद्भाविक विवाद विद्यमान है। इस सम्बन्ध में उच्चतर न्यायालयों के विभिन्न न्यायिक दृष्टांत में पारित सिद्धान्त की अवधारणा के अनुसार कृषि भूमि के सम्बन्ध में सद्भाविक विवाद मौजूद होने पर विवादित आराजी पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस को पाबंद कर संरक्षित

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

श्रीमती पतासी वगैरह बनाम श्रीमती सुवा देवी वगैरह
किस्म मुकदमा–225 राज0काश्त0अधिनियम
प्रकरण संख्या 361/2022 (अजमेर)

किया जाना न्याय संगत है। न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें।

अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर (उपखण्ड अधिकारी, अजमेर से स्थानान्तरित) को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें, तब तक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र संख्या 33/2015 (105/2022) में वर्णित खसरा नम्बर 1721, 1722, 1765 स्थित ग्राम चौरसियावास तहसील व जिला अजमेर में अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस को पाबंद किया जाता है कि वे किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निस्तारण होने पर न्यायालय हाजा के आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी माना जायेगा। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर